89

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक : 1079-एक/2016 - विरूद्ध आदेश दिनांक 9-3-1016- पारित द्वारा - अनुविभागीय अधिकारी, अशोकनगर जिला अशोकनगर - प्रकरण कमांक 30/2012-13 अपील

1- गजेन्द्रसिंह पुत्र लल्लीराम रघुवॅशी
2- सरदार पुत्र सुकुआ चमार
ग्राम नगउखेड़ी तहसील शाढौरा
जिला अशोकनगर मध्य प्रदेश -----आवेदकगण

विरूद्ध

1- गनेशा पुत्र कलुआ 2- शिवराम पुत्र उधम
3- रामसिंह पुत्र दंगल सिंह
4- श्रीमती सरजूवाई पत्नि स्व.लल्लीराम
5- रमेशसिंह पुत्र स्व.लल्लीराम रघुवंशी
ग्राम नगउखेड़ी तहसील शाढौरा
जिला अशोकनगर मध्य प्रदेश ---अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री के.के.द्विवेदी)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री एस0पी0धाकड़)

आ दे श

(आज दिनांक 9 - 3 -2018 को पारित)

यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर द्वारा प्रकरण कमांक 30/2012-13 अपील में पारित आदेश दिनांक 9-3-16 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2- प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक कमांक-1 ने तहसीलदार शाढौरा के प्रकरण कमांक 817 बी 121/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 25-10-12 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अपील प्रचलित रहने के दौरान दिनांक 17-11-15 को अनावेदक

क-1 ने आवेदन प्रस्तुत कर तत्काल सुनवाई कर प्रकरण के निराकरण की मांग की तथा बताया कि न्यायालय व्दारा दिये गये आदेश के क्रम में अपीलांट ने उचित फीस के साथ दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन कराकर रसीद व पेपर की प्रति संलग्न की गई है परन्तु प्रकाशन उपरांत भी रिस्पा0 व्दारा न्यायालय में उपस्थित होना व जानबूझकर प्रकरण को लिंगर करना प्रतीत होता है इसलिये न्यायहित में प्रकरण में अंतिम तर्क श्रवण किये जाकर निराकरण किया जाय। अनुविभागीय अधिकारी ने उक्त आवेदन पर हितबद्ध पक्षकारों को सुनकर अंतरिम आदेश दिनांक 9-3-16 पारित किया तथा निर्णीत किया कि प्रकरण में पेशी 9-5-13 के वारिसान की तलबी हेतु आदेश दिया गया है जिस पर रिस्पा0 अभिभाषक श्री राजौरिया जी के भी पेशी में उपस्थित रहने के हस्ताक्षर हैं। अतः अभि. की आपत्ति सदभावना पर आधारित न होने से निरस्त की जाती है अपीलार्थी अभि. का आवेदन शीघ्र न्याय चाहने एंव विधि सम्मत होने से स्वीकार किया जाता है । प्रकरण अंतिम निराकरण हेतु उभय पक्ष के तर्क हेतु नियत। अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर के इसी अंतरिम आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में उन्हीं तथ्यों को दोहराया है जो उन्होंने निगरानी मेमो में अंकित किये है। अनावेदक के अभिभाषक का तर्क है कि अनावेदक क-1 ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आवेदन दिनांक 17-11-15 प्रस्तुत कर मात्र प्रकरण के शीघ्र निराकरण करने की प्रार्थना की है परन्तु आवेदकगण प्रकरण का निराकरण नहीं होने देना चाहते हैं अनुविभागीय अधिकारी के अंतरिम आदेश दिनांक 9-3-16 से किसी पक्ष को कोई हानि नहीं है क्योंकि दोनों पक्षों के समक्ष पक्ष रखने का उपचार प्राप्त है । उन्होंने निगरानी व्यर्थ होना बताते हुये निरस्त करने की मांग रखी।

5/ उभय पक्ष व्दारा प्रस्तुत तर्को पर विचार करने एंव अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर के प्रकरण क्रमांक 30/2012-13 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 9-3-16 के अवलोकन से परिलक्षित है कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आवेदन दिनांक 17-11-15 में अनावेदक क-1 ने मांग की है कि न्यायालय व्दारा दिये गये आदेश के क्रम में उसके

व्दारा उचित फीस के साथ दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन कराकर रसीद व पेपर की प्रति प्रस्तुत की गई है प्रकाशन उपरांत भी रिस्पा0 व्दारा न्यायालय में उपस्थित होना व जानबूझकर प्रकरण को लिंगर करना प्रतीत होता है इसलिये न्यायहित में प्रकरण में अंतिम तर्क श्रवण किये जाकर निराकरण किया जाय। अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर ने इस आवेदन की प्रति आवेदकगण को दिलाई है एंव आवेदन में अंकित तथ्यों पर सुनवाई की है तथा सुनवाई उपरांत अंतरिम आदेश दिनांक 9-3-16 से निर्णीत किया है कि प्रकरण में पेशी 9-5-13 के वारिसान की तलबी हेतु आदेश दिया गया है जिस पर रिस्पा0 अभिभाषक श्री राजौरिया जी के भी पेशी में उपस्थित रहने के हस्ताक्षर हैं। अतः अभि. की आपत्ति सदभावना पर आधारित न होने से निरस्त की जाती है अपीलार्थी अभि. का आवेदन शीघ्र न्याय चाहने एंव विधि सम्मत होने से स्वीकार किया जाता है। प्रकरण अंतिम निराकरण हेतु उभय पक्ष के तर्क हेतु नियत। अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर का अंतरिम आदेश दिनांक 9-3-15 वास्तविक स्थिति पर आधारित है जबकि आवेदकगण को अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अंतिम बहस के दौरान पक्ष रखने का उपचार प्राप्त है । प्रकरण में आये तथ्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदकगण अनुविभागीय अधिकारी के यहॉ प्रकरण का अंतिम निराकरण नहीं होने देना चाहते है जिसके कारण वह निगरानी करके प्रकरण को उलझाये रखना चाहते हैं जबकि अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर के आदेश दिनांक 9-3-16 में किसी प्रकार की कमी-वेशी नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर व्दारा प्रकरण क्रमांक 30/2012-13 अपील में पारित आदेश दिनांक 9-3-16 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
मध्य प्रदेश ग्वालियर